बिहार सरकार,

पर्यावरण एवं वन विभाग

कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।

(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या– FC-1236

प्रेषक,

ए० के० पाण्डेय, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

वन संरक्षक,
गया अंचल, गया।

पटना–14, दिनांक– 06 / 12 / 2017

विषय : नवादा जिलान्तर्गत 220 KV D/C (HTLS) नवादा (नई)–गया (नई) खिजरसराय पारेषण लाईन के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.042 हे० वन भूमि का "उप प्रबंधक, बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड, गया के पक्ष में" अपयोजन के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वन संरक्षक, गया अंचल, गया के पत्रांक 681 दिनांक 25.05.2017 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्रांक 11-9/98 FC दिनांक 13.05.2011, दिनांक 25.02.2016 एवं बिहार सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग, के पत्रांक 474 दिनांक 30.08.2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आलोक में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार पटना द्वारा निम्नांकित शर्तों के साथ नवादा जिलान्तर्गत 220 KV D/C (HTLS) नवादा (नई)–गया (नई) पारेषण लाईन के निर्माण हेतु 0.042 हे० वन भूमि अपयोजन की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की जाती है–

(i) अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।

(ii) अपयोजित होने वाली 0.042 हे० वन भूमि का NPV की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा बिहार सरकार के संकल्प संख्या 513 (ई०), दिनांक 27.11.2008 द्वारा निर्धारित दर 6.26 लाख रू० प्रति हे० की दर पर कुल रू० 26,292/– मात्र की राशि जमा की जायेगी।

(iii) यद्यपि परियोजना निर्माण में किसी भी वृक्षों का पातन पातन नहीं होना है फिर भी 50 वृक्षों का रैखिक क्षतिपूरक वृक्षारोपण परियोजना खर्च पर किया जायेगा। इस निमित् प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दर पर राशि पर्यावरण एवं वन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा। वन प्रमंडल पदाधिकारी, नवादा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) के पत्रांक 682 दिनांक 01.11.2017 द्वारा निर्धारित दर के आलोक में अद्यतन मजदूरी दर पर प्राक्कलन तैयार कर इस कार्यालय को उपलब्ध काराएगें।

(iv) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा Net Present Value (NPV) और सभी अन्य मद की राशि Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority

(CAMPA) के Ad-hoc Body द्वारा निर्धारित बचत लेखा संख्या SB01025201 (A/C Name- CAF Bihar, A/C No.- SB01025201, Corporation Bank CGO Complex, Phase-1, लोदी रोड, नई दिल्ली 110003 RTGS/IFSC No. CORP0000371) में **e-challan के माध्यम से** फंड ट्रांस्फर कर जमा कराया जायेगा। उक्त जमा की गयी राशि को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, के e-portal पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ जमा की गयी राशि की सूचना इस कार्यालय को e-challan की मूल प्रति में दी जाय।

(v) प्रयोक्ता एजेंसी को इस आशय की वचनबद्धता देनी होगी कि NPV के दर में वृद्धि होने पर उनके द्वारा अतिरिक्त/अन्तर की राशि जमा की जायेगी।

(vi) आवश्यकतानुसार वन एवं वन्यप्राणियों की सुरक्षा के लिये प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वनों से गुजरने वाले क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में Circuit Breakers का उपयोग किया जायेगा।

(vii) राईट ऑफ वे पर बौनी प्रजाति (Dwarf Species) (विशेषकर मेडिसिनल पौधों) के पौधों के वृक्षारोपण हेतु वन प्रमंडल पदाधिकारी, नवादा द्वारा योजना तैयार कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय एवं इस कार्यालय द्वारा योजना के कार्यान्वयन हेतु राशि की मांग प्रयोक्ता एजेंसी से की जायेगी।

(viii) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा परियोजना निर्माण के क्रम में किसी भी वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा।

(ix) वन भूमि का उपयोग मिट्टी कटाई अथवा किसी भी निर्माण सामग्री निकालने के लिये नहीं किया जायेगा, और न ही अपशिष्ट निर्माण सामग्री को वन भूमि पर फेंका जायेगा।

(x) वन क्षेत्र के अन्दर निर्माण सामग्री की ढुलाई के लिये अतिरिक्त अथवा नये पथ का निर्माण नहीं किया जायेगा।

(xi) वृक्षों एवं संवाहक (Conductors) के बीच न्यूनतम 5.50 मी० की दूरी रखी जायेगी। वृक्ष खुले तार से संपर्क में नहीं आये इसके लिये नियमित रूप से प्रयोक्ता एजेंसी/पैतृक विभाग द्वारा उसकी छँटाई की जायेगी।

(xii) वन क्षेत्र के भीतर मजदूरों का निवास स्थान (Labour Camp) नहीं बनाया जायेगा।

(xiii) वन क्षेत्र से बाहर निवास कर रहे परियोजना कार्य में शामिल मजदूरों को ईंधन आपूर्ति का दायित्व प्रयोक्ता एजेंसी का होगा। प्रयोक्ता एजेंसी के क्षेत्रीय निरीक्षक/स्थानीय वन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगें कि वन एवं वन्य प्राणियों को प्रयोक्ता एजेंसी अथवा उनके द्वारा नियोजित मजदूर/कार्य एजेंसी किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुँचा रहें हैं।

(xiv) वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा।

(xv) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 एवं अन्य सुसंगत अधिनियम/नियमावली के प्रावधान जो इस परियोजना के कार्यान्वयन से संबंधित होगा के तहत अलग से स्वीकृति प्राप्त की जायेगी एवं अन्तिम स्वीकृति के प्रस्ताव के साथ समर्पित किया जायेगा।

(xvi) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उन सभी अन्य शर्त्तों का अनुपालन किया जायेगा, जो समय-समय पर वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं प्रबंधन के लिये भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित किये जायेंगे।

(xvii) उपर्युक्त शर्त्तों में से किसी एक का भी अनुपालन नहीं होने की स्थिति में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी इस कार्यालय को प्रतिवेदित करेंगे।

(xviii) यदि इस विषय पर पर्यावरण सुरक्षा के हित में कोई अन्य शर्त्तें आवश्यक होगी तो कालान्तर में इसे अधिरोपित किया जा सकेगा एवं प्रयोक्ता एजेंसी के लिये यह बाध्यकारी होगा।

(xix) उपभोक्ता अभिकरण (इस मामले में उप प्रबंधक, बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड, गया) अपयोजित वन भूमि किसी भी अन्य व्यक्ति, प्राधिकार विभाग आदि को किसी भी प्रकार से आवंटन/हस्तान्तरण/अभ्यर्पण (assignment) नहीं करेगी।

अपयोजन स्वीकृति का यह आदेश उग्रवाद प्रभावित जिलों के लिये भारत सरकार द्वारा 5 (पाँच) हे० वन भूमि के अपयोजन की शक्ति राज्य सरकार को देने तथा इस क्रम में राज्य सरकार द्वारा नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार को यह शक्ति प्रत्योजित करने के आलोक में निर्गत किया जाता है।

उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन वन संरक्षक, गया अंचल, गया के माध्यम से प्राप्त होने के पश्चात विषयांकित परियोजना के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा-2 के तहत अन्तिम स्वीकृति प्रदान की जायेगी। नोडल पदधिकारी (वन संरक्षण), बिहार द्वारा वन भूमि अपयोजन की अन्तिम स्वीकृति आदेश निर्गत करने के पश्चात ही उक्त वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

06/11/17

(ए० के० पाण्डेय)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

Email on - 08.11.20

कार्यालय– वन प्रमण्डल पदाधिकारी, नवादा वन प्रमण्डल, नवादा।

द्वितीय तल, निर्मला भवन, राजेन्द्र नगर, नवादा।
दूरभाष नं0–06324–217078 email :- dfonawada@rediffmail.com

पत्रांक– 3275 दिनांक – 08.11.17

प्रेषक,

आलोक कुमार, भा.व.से.
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
नवादा वन प्रमण्डल, नवादा।

सेवा में,

वन संरक्षक,
गया अचंल, गया।

विषय :– नवादा जिलान्तर्गत 220 KV D/C (HTLS) नवादा (नई) – गया (नई) खिजरसराय पारेषण लाईन के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव।

प्रसंग :– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) –सह– नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना का पत्रांक – FC-1016 दिनांक – 06.10.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के कम में 50 लौह गैवियन के क्षतिपूरक वनरोपण का अद्यतन मजदूरी दर 247/– प्रति मानव दिवस के आधार पर क्षतिपूरक वनरोपण का संशोधित प्राक्कलन एवं उसका जी0पी0एस0 रिडिंग पत्र के साथ संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है।

जी0पी0एस0 रिडिंग मंझवे से गया सड़क में

01. N – 24° 48' 22.05"
E – 85° 19' 59.2"

02. N – 24° 48' 23"
E – 85° 19' 59"

03. N – 24° 48' 22"
E – 85° 19' 60"

04. N – 24° 48' 25"
E – 85° 19' 58"

अनु: यथोक्त।

विश्वासभाजन

8/11/17

(आलोक कुमार)
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
नवादा वन प्रमण्डल, नवादा।
8.11.17

ज्ञापांक – 3275 दिनांक – 08.11.17

प्रतिलिपि :– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) –सह– नोडल पदाधिकारी, वन (संरक्षण) बिहार पटना को उनके पत्रांक – एफ0सी0–1016 दिनांक – 06.10.2017 के कम में अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु: यथोक्त।

8/11/17
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
नवादा वन प्रमण्डल, नवादा।
8.11.17

Nawada Forest Division, Nawada

Name of Project : CA for 220 KV/DC/(H.T.L.S.) Nawada (New) - Gaya (New) - Khijar Sarai Transmission Line.

1	Name of Scheme :	Compensatory Afforestation	8	Project Year :	2017-18 to 2026-27
2	Name of Division :	Nawada	9	Name of District :	Nawada
3	Name of Range :	Hisua	10	Name of Block :	Hisua
4	Name of Road :	SH-82 (Nawada-Hisua-Gaya Road)	11	No. of Iron Gabion	50
5	Nature of of Road :-	PF	12	No of Mounds (Medi	0
6	Gross Length (Km)	0.5	13	Total Plants	50
7	Net Length (Km)	0.3	14	Wage rate	247

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	इकाई दर	मानव दिवस	मजदूरी	सामग्री	कुल मजदूरी	कुल सामग्री	कुल व्यय
16.0	अग्रिम-सह-समापन कार्य (2017-18)							
16.1	5' X 20" (जमीन से ऊपर) आकार का लौह गैबियन का निर्माण (सामग्री एवं मजदूरी सहित)	प्रति गैबियन	0	0	2294	0	114700	114700
16.2	गड्ढा कार्य (45cm X 45cm X 45cm)	प्रति पौध	0.0879	21.71	0	1086	0	1086
16.3	लौह गैबियन को वृक्षारोपण स्थल तक ढुलाई कर उसे RCC के द्वारा Fix करना।	प्रति गैबियन	0	353	0	17650	0	17650
16.4	पौधारोपण (100ग्राम कीटनाशी एवं 7 ग्राम कवकनाशक के साथ)	प्रति पौधा	0.096	23.71	2.5	1186	125	1311
16.5	8 फिट साईज पौधे का क्रय, परिवहन एवं लोडिंग अनलोडिंग सहित (30 प्रतिशत अधिक के साथ) आवश्यकता अनुसार 150 रू0 प्रति पौधा	प्रति पौधा	0	0	150	0	9000	9000
16.6	2 सी0 साईज का मिट्टी का मटका परिवहन एवं स्थापित करने सहित	प्रति गैबियन	0	0	0	0	0	0
16.7	सूक्ष्म पोषण (Micro Nutrient)	प्रति पौधा	0	0	50	0	2500	2500
16.8	वर्मी कम्पोस्ट (पौध में मिट्टी के साथ मिलाकर डालने हेतु) क्रय एवं परिवहन सहित @ 10/- रू0 प्रति किलोग्राम	प्रति पौधा 5 कि0 ग्रा0	0	0	50	0	2500	2500
16.9	विविध कार्य (साईन बोर्ड एवं प्रचालन इत्यादि)		0	0	0	0	5000	5000
16.10	विविध कार्य (पटवन एवं संबंधित सामग्री, डीजल इत्यादि)	प्रति पौधा	0	0	80	0	4000	4000
16.11	500 गैबियन के दो कोड़नी निकौनी, मृत पौधों का बदलाव तथा 9 माह (26 x 237 x 9) प्रति 500 गैबियन	प्रति पौधा	0.468	116	0	5780	0	5780
	उपयोग –					25701	137825	163526
16.1	प्रथम वर्ष साम्पोषण							
16.1.1	500 गैबियन के दो कोड़नी निकौनी, मृत पौधों का बदलाव तथा 12 माह पटवन हेतु एक मजदूर (26 x 237 x 12) प्रति 500 गैबियन रू0 प्रति गैबियन।	प्रति पौधा	0.624	154.1	0	7706	0	7706
16.1.2	विविध कार्य (पटवन सामग्री, कोड़नी –निकौनी के साथ रासायनिक खाद, डीजल इत्यादि)	प्रति पौधा	0	0	80	0	4000	4000
16.1.3	मृत पौधों का बदलाव (10% पौधों का परिवहन रू0 15/– पौधा)	प्रति पौधा	0	15	0	750	0	750
	उपयोग –					8456	4000	12456
16.2	द्वितीय वर्ष साम्पोषण							
16.2.1	500 गैबियन के दो कोड़नी निकौनी, मृत पौधों का बदलाव तथा 12 माह पटवन हेतु एक मजदूर (26 x 237 x 12) प्रति 500 गैबियन रू0 प्रति गैबियन।	प्रति गैबियन	0.624	154.1	0	7706	0	7706
16.2.2	विविध कार्य (पटवन सामग्री, कोड़नी –निकौनी के साथ रासायनिक खाद, डीजल इत्यादि)	प्रति पौधा	0	0	80	0	4000	4000
16.2.3	मृत पौधों का बदलाव (10% पौधों का परिवहन रू0 15/– पौधा)	प्रति पौधा	0	15	0	750	0	750
	उपयोग –					8456	4000	12456
16.3	तृतीय वर्ष साम्पोषण							
16.3.1	500 गैबियन के दो कोड़नी निकौनी, मृत पौधों का बदलाव तथा 12 माह पटवन हेतु एक मजदूर (26 x 237 x 12) प्रति 500 गैबियन रू0 प्रति गैबियन।	प्रति गैबियन	0.624	154.1	0	7706	0	7706
16.2.2	विविध कार्य (पटवन सामग्री, कोड़नी –निकौनी के साथ रासायनिक खाद, डीजल इत्यादि)	प्रति पौधा	0	0	80	0	4000	4000
	उपयोग –					7706	4000	11706
16.4	चतुर्थ वर्ष साम्पोषण							
16.4.1	प्रथम वर्ष 500 गैबियन के दो कोड़नी निकौनी, मृत पौधों का बदलाव तथा 12 माह पटवन हेतु एक मजदूर (26 x 209 x 12) = 65208 प्रति 500 गैबियन = 130/- रू0 प्रति गैबियन।	प्रति गैबियन	0.624	154.1	0	7706	0	7706
16.4.2	विविध कार्य (पटवन सामग्री, कोड़नी –निकौनी के साथ रासायनिक खाद, डीजल इत्यादि)	प्रति पौधा	0	0	80	0	4000	4000
	उपयोग –					7706	4000	11706
16.5	पंचम वर्ष साम्पोषण							
16.5.1	500 गैबियन के दो कोड़नी निकौनी, मृत पौधों का बदलाव तथा 12 माह पटवन हेतु एक मजदूर (26 x 237 x 12) प्रति 500 गैबियन रू0 प्रति गैबियन।	प्रति गैबियन	0.624	154.1	0	7706	0	7706
16.5.2	विविध कार्य (पटवन सामग्री, कोड़नी –निकौनी के साथ रासायनिक खाद, डीजल इत्यादि)	प्रति पौधा	0	0	80	0	4000	4000
	उपयोग –					7706	4000	11706

16.6	षष्ठम वर्ष सम्पोषण							
16.6.1	500 गैबियन के दो कोड़नी निकौनी, मृत पौधों का बदलाव तथा 12 माह पटवन हेतु एक मजदूर (26 x 237 x 12) प्रति 500 गैबियन का प्रति गैबियन।	प्रति गैबियन	0.624	154.1	0	7706	0	7706
16.6.2	विविध कार्य (पटवन सामग्री, कोड़नी –निकौनी के साथ रासायनिक खाद, डीजल इत्यादि)	प्रति पौधा	0	0	80	0	4000	4000
	उपयोग –					7706	4000	11706
16.7	सप्तम वर्ष सम्पोषण							
16.7.1	500 गैबियन के दो कोड़नी निकौनी, मृत पौधों का बदलाव तथा 12 माह पटवन हेतु एक मजदूर (26 x 237 x 12) प्रति 500 गैबियन का प्रति गैबियन।	प्रति गैबियन	0.624	154.1	0	7706	0	7706
16.7.2	विविध कार्य (पटवन सामग्री, कोड़नी –निकौनी के साथ रासायनिक खाद, डीजल इत्यादि)	प्रति पौधा	0	0	80	0	4000	4000
	उपयोग –					7706	4000	11706
16.8	अष्टम वर्ष सम्पोषण							
16.8.1	500 गैबियन के दो कोड़नी निकौनी, मृत पौधों का बदलाव तथा 12 माह पटवन हेतु एक मजदूर (26 x 237 x 12) प्रति 500 गैबियन का प्रति गैबियन।	प्रति गैबियन	0.624	154.1	0	7706	0	7706
16.8.2	विविध कार्य (पटवन सामग्री, कोड़नी –निकौनी के साथ रासायनिक खाद, डीजल इत्यादि)	प्रति पौधा	0	0	80	0	4000	4000
	उपयोग –					7706	4000	11706
16.9	नवम वर्ष सम्पोषण							
16.9.1	500 गैबियन के दो कोड़नी निकौनी, मृत पौधों का बदलाव तथा 12 माह पटवन हेतु एक मजदूर (26 x 237 x 12) प्रति 500 गैबियन का प्रति गैबियन।	प्रति गैबियन	0.624	154.1	0	7706	0	7706
16.9.2	विविध कार्य (पटवन सामग्री, कोड़नी –निकौनी के साथ रासायनिक खाद, डीजल इत्यादि)	प्रति पौधा	0	0	80	0	4000	4000
	उपयोग –					7706	4000	11706
	कुल योग –					96559	173825	270384

1. The estimate submitted based on the schedule of rate communicated by office of the PPCF (Development) by his office order No.2 dated 2.11.2016 and revised to current wage rate.

Sd/-

Range Officer of Forest, Hisua

Divisional Forest Officer, Nawada
Forest Division, Nawada

सारांश				
कार्य विवरण	कुल मजदूरी	कुल सामग्री	संभावित वृद्धि	कुल राशि
1. अग्रिम सह रोपण कार्य	25701	137825	0	163526
2. प्रथम वर्ष सम्पोषण संभावित वृद्धि (मजदूरी एवं सामग्री @10%)	8456	4000	1246	13702
3. द्वितीय वर्ष सम्पोषण संभावित वृद्धि (मजदूरी एवं सामग्री @20%)	8456	4000	2491	14948
4. तृतीय वर्ष सम्पोषण संभावित वृद्धि (मजदूरी एवं सामग्री @30%)	7706	4000	3512	15218
5. चतुर्थ वर्ष सम्पोषण संभावित वृद्धि (मजदूरी एवं सामग्री @40%)	7706	4000	4683	16389
6. पंचम वर्ष सम्पोषण संभावित वृद्धि (मजदूरी एवं सामग्री @50%)	7706	4000	5853	17560
7. षष्ठम वर्ष सम्पोषण संभावित वृद्धि (मजदूरी एवं सामग्री @60%)	7706	4000	7024	18730
8. सप्तम वर्ष सम्पोषण संभावित वृद्धि (मजदूरी एवं सामग्री @70%)	7706	4000	8194	19901
9. अष्टम वर्ष सम्पोषण संभावित वृद्धि (मजदूरी एवं सामग्री @80%)	7706	4000	9365	21072
10. नवम वर्ष सम्पोषण संभावित वृद्धि (मजदूरी एवं सामग्री @90%)	7706	4000	10536	22242
कुल योग –	96559	173825	27038	297422

Technical Sanction granted for Rs 297422

Sd/-

Range Officer of Forest, Hisua

Divisional Forest Officer, Nawada
Forest Division, Nawada